अमर उजाला

कहीं से भी कर सकेंगे मतदान अब घर लौटने की जरूरत नहीं

निर्वाचन आयोग ने तैयार की रिमोट ईवीएम

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में चुनाव के दौरान अब लोग कहीं से भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए गृह राज्य लौटने की जरूरत नहीं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सहभागिता बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) तैयार की है। इसके जरिये दूरदराज में बसे प्रवासी मतदाता देश के किसी भी हिस्से से अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कर सकेंगे।

आयोग 16 जनवरी को आरवीएम के प्रोटोटाइप का परीक्षण करेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए सभी मान्यता प्राप्त आठ राष्ट्रीय और 57 क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित किया है। डेमो में आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में तैयार इस आरवीएम के जरिये एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान संभव होगा। मतदान मशीनें इंटरनेट से नहीं जुड़ी होंगी। विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया व प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के आधार पर, रिमोट वोटिंग प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया को उचित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। आयोग ने सुदूर बूथों से डाले गए वोटों की गिनती और दूसरे राज्यों में रिटर्निंग ऑफिसर तक इसकी जानकारी पहुंचाने को बड़ी मुश्किल माना है। अधिकारियों ने कहा, इससे निपटने के लिए आरवीएम को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित 'एक मजबूत, फेलप्रूफ और कुशल स्टैंड-अलोन सिस्टम' के रूप में विकसित किया जाएगा।

एक रिमोट पोलिंग बूथ से ही 72 निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान संभव

दूरस्थ मतदान एक परिवर्तनकारी पहल

युवाओं और शहरी उदासीनता पर ध्यान देने के बाद चुनावी लोकतंत्र में भागीदारी को मजबूत करने के लिए दूरस्थ मतदान एक परिवर्तनकारी पहल होगी।

-राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त

प्रशासनिक चुनौतियां...

घरेलू प्रवासियों को परिभाषित करना, दूरस्थ मतदाताओं की गणना और अन्य राज्यों में स्थित दूरस्थ मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता का पालन। वोटिंग की गोपनीयता सुनिश्चित करना, मतदाताओं की पहचान के लिए पोलिंग एजेंटों की सुविधा और रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया-तरीके और वोटों की गिनती। दूरस्थ मतदान की पद्धति, मतदाताओं को प्रक्रिया व आरवीएम तकनीक से परिचित कराना।

कानूनों में होगा संशोधन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में संशोधन करना होगा। कानून संसद में ही बदला जा सकता है। आयोग ने इन मुद्दों पर मान्यता प्राप्त दलों से 31 जनवरी तक लिखित सुझाव मांगे हैं।

उत्तराखंड से मिला आइडिया

देहरादून। रिमोट एरिया में रिमोट वोटिंग का यह आइडिया उत्तराखंड से ही निकला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के बाद राजीव कुमार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के दुमक गांव के दूरस्थ मतदान केंद्र का दौरा किया था। >> पेज 02 पर

पहल

चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) विकसित की

उत्तराखंड से ही निकला रिमोट वोटिंग का आइडिया

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। रोजगार, शिक्षा और अन्य दूसरी वजहों से देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंड के लाखों लोग अब चुनाव में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कर सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) विकसित की है। खास बात यह है कि रिमोट एरिया में रिमोट वोटिंग का यह आइडिया उत्तराखंड से ही निकला है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के बाद राजीव कुमार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के दुमक गांव के दूरस्थ मतदान केंद्र का दौरा किया था। अपनी पैदल यात्रा के दौरान वह प्रवासियों की समस्या से सीधे रूबरू हुए थे। तब प्रवासियों ने उनके सम्मुख यह मांग उठाई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से रिमोट वोटिंग पर व्यापक मंथन किया गया है। आयोग की टीम ने सभी सामाजिक-आर्थिक स्तरों पर प्रवासियों की चुनावी भागीदारी को संभव बनाने के लिए सर्व समावेशी समाधान ढूंढने और मतदान करने की वैकल्पिक पद्धतियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

सभी हितधारकों के लिए विश्वसनीय, सुगम और स्वीकार्य प्रौद्योगिकीय समाधान की तलाश करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय आयोग और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने एम-3 ईवीएम मॉडल के संशोधित संस्करण का उपयोग करने का विकल्प ढूंढा है। इस तरह प्रवासी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिले की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जून 2022 में 18 किलोमीटर पैदल चलकर चमोली जिले के दुमक गांव पहुंचे थे। फाइल फोटो

आरवीएम से राज्य में बढ़ेगा वोटिंग प्रतिशत

देहरादून। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) लागू होने से पूरे देश के साथ उत्तराखंड को भी फायदा होगा। राज्य में पलायन की स्थिति को देखते हुए आरवीएम यहां के वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इस तरह से लोग दूर रहकर भी अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुना सकेंगे। आम चुनाव 2019 में 67.4 प्रतिशत मतदान हुआ था। वोटर टर्नआउट में सुधार लाने और निर्वाचन में अधिक से अधिक भागेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख बाधा आंतरिक प्रवासन (घरेलू प्रवासियों) की है। हालांकि, देश के भीतर प्रवासन के लिए कोई केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, फिर भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि रोजगार, शादी और शिक्षा से संबंधित प्रवासन, समग्र घरेलू प्रवासन का महत्वपूर्ण घटक है।

अगर समग्र घरेलू प्रवासन को देखें, तो ग्रामीण आबादी के बीच बहिप्रवासन बड़े पैमाने पर देखा गया है। आंतरिक प्रवासन का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के भीतर होता है। रिमोट वोटिंग से प्रवासी नागरिक अपने गृह क्षेत्रों से जुड़ सकेंगे। ब्यूरो

एक मशीन से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग मतदान

रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का संशोधित रूप है। एक एकल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों पर अलग-अलग मतदान किया जा सकता है। यदि यह पहल लागू हो जाती है, तो यह प्रवासियों के लिए एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लेकर आएगी। वे देश के किसी भी कोने में बैठकर अपने गृह क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन सकेंगे।

हिन्दुस्तान

पहल : निर्वाचन आयोग ने प्रवासियों के लिए नई मतदान व्यवस्था का मॉडल तैयार किया

जहां हैं, वहीं से वोट दे सकेंगे

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। आने वाले दिनों में प्रवासी मतदाता देश में जहां हैं, वहीं से वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है। आयोग राजनीतिक दलों के साथ अगले महीने इसका विवरण साझा करेगा।

अवधारणा पत्र जारी किया: आयोग की ओर से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, रिमोट वोटिंग पर एक अवधारणा पत्र जारी किया गया है। इसे लागू करने में पेश होने वाली कानूनी, प्रशासनिक प्रक्रियात्मक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार मांगे गए हैं।

इंटरनेट से नहीं जुड़ेगी : आयोग के अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित आरवीएम को मजबूत, त्रुटिरहित और दक्ष तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। इस मशीन को सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम ने विकसित किया है।

31 जनवरी तक सुझाव मांगे : आयोग ने मशीन का मॉडल दिखाने के लिए आठ राष्ट्रीय और 57 राज्यीय दलों को आमंत्रित किया है। इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में 31 जनवरी, 2023 तक सुझाव मांगे गए हैं। आयोग के अनुसार, कई बार प्रवासी विभिन्न कारणों से अपने कार्यस्थल के आसपास खुद का पंजीकरण नहीं करा पाते। इसमें बार-बार मकान बदलने के कारण पता बदलना, जिस क्षेत्र में अस्थायी रूप से रह रहे होते हैं वहां के मुद्दों से सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव महसूस न होना, गृह नगर में मतदाता सूची से अपना नाम न हटवाने की इच्छा आदि कारण शामिल होते हैं।

मतदान बढ़ाने की कवायद: आयोग के मुताबिक, वर्ष 2019 के आम चुनावों में 67.4 फीसदी मतदान हुआ था। इस चुनाव में मतदान नहीं करने वाले 30 करोड़ मतदाता को लेकर आयोग सजग है। इसे देखते हुए आयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान कराने के लिए सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रहा है।

कांग्रेस का ऐतराज : इस बीच, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस पहल से चुनाव प्रणाली में विश्वास कम होगा। आयोग को सभी दलों को साथ लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रणाली में पूरी पारदर्शिता के साथ विश्वास बहाल हो। वहीं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने व्यवस्था की सराहना की।

बदलाव को इन पांच सवालों से समझें

1 नई व्यवस्था कब से शुरू होगी?

चुनाव आयोग ने इस संबंध में अभी सिर्फ अवधारणा पत्र जारी कर तैयारी पूरी होने का दावा किया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को प्रस्तुतीकरण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर निर्णय होना बाकी है।

2 क्या घर बैठे मतदान कर सकेंगे?

रिमोट वोटिंग मशीन का मतलब घर से मतदान करना बिलकुल नहीं है। रिमोट ईवीएम का इस्तेमाल करने के लिए मतदान के दिन लोगों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित विशेष केंद्र पर पहुंचकर ही अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होगा।

3 मतदान केंद्र पर क्या अलग इंतजाम होंगे?

आरवीएम 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक साथ मतदान करा सकती है। इस लिहाज से विशेष केंद्र बनाकर वहां निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के अनुसार एक से अधिक मशीन लगानी पड़ सकती हैं।

4 भारत से पहले यह व्यवस्था कहीं और भी है?

अभी ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी में ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान है। लेकिन सभी देशों के नियम अलग-अलग हैं। भारत में भी पहली बार वर्ष 2010 में ई-वोटिंग प्रक्रिया का ट्रायल किया गया था।

5 इसे लागू करने में क्या कोई अड़चन है?

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचनों का संचालन अधिनियम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम में बदलाव पर आयोग विचार कर रहा है। प्रवासी मतदाता और रिमोट वोटिंग की परिभाषा एवं दायरे को अंतिम रूप देना बाकी है।

45 करोड़ मतदाता दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं अनुमानित

12 साल पहले गुजरात निकाय चुनाव में ई-वोटिंग का ट्रायल किया गया था

ये चुनौतियां भी

1. मतों की गिनती का काम और दूसरे राज्यों में निर्वाचन अधिकारी तक पूरा डाटा भेजना
2. मतदान के लिए घरेलू प्रवासियों की परिभाषा तय करना
3. मतदान वाली जगह पर आदर्श आचार संहिता लागू करना
4. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना
5. मतदाता की पहचान के लिए पोलिंग एजेंट की सुविधा

"यह पहल प्रवासियों के लिए बड़ा सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। प्रवासियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिले की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था लागू होने पर उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मददगार साबित होगी।

-भारत निर्वाचन आयोग

हिन्दुस्त

रिमोट वोटिंग से बदलेगी उत्तराखंड की सियासत

देहरादून,मुख्य संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रिमोट वोटिंग पर सहमति जताए जाने से उत्तराखंड की सियासत में व्यापक बदलाव आ सकता है। उत्तराखंड के लाखों प्रवासियों को अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिमोट वोटिंग का अधिकार मिलने से राज्य में कम मतदान प्रतिशत का ट्रेंड खत्म हो सकेगा।

उत्तराखंड जैसे पलायन प्रभावित राज्यों के लिए अहम हो सकता है। उत्तराखंड के लाखों लोग स्थायी या अस्थायी तौर पर अपने मूल स्थान से पलायन कर चुके हैं। इस कारण वो अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से वंचित रह जाते हैं। अब उन्हें अपने वर्तमान निवास वाली जगह से ही अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान का मौका मिलेगा।

राज्य में 1702 गांव हो चुके हैं खाली

पलायन आयोग की रिपार्ट के मुताबिक राज्य गठन के बाद से 1702 गांव आबादी विहीन हो चुके हैं। बीते दस साल में ही पांच लाख से अधिक लोगों ने स्थायी अस्थायी तौर पर पलायन किया है। ऐसे में रिमोट वोटिंग पलायन के राजनैतिक असर को कम कर सकती है।

दैनिक जागरण

चुनाव के दिन घर से बाहर रहने वाले भी डाल सकेंगे वोट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : शादी–ब्याह जैसे आयोजनों या रोजी–रोजगार के सिलसिले में कई बार लोग चुनाव के दिन अपने घरों से दूर रहते हैं। इसके चलते वे चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं। वे जहां होते हैं, उस जगह की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं होता है और वे अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। ऐसे मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने एम–3 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के संशोधित संस्करण के रूप मे रिमोट इलक्ट्रानिक वोटिंग मशीन तैयार किया है, ताकि शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से देश में ही अन्य जगह रहने वाले मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र गए बिना वोट डाल सकें। इसका प्रयोग शुरू करने से पहले आयोग 16 जनवरी, 2023 को मान्यता प्राप्त आठ राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तरीय दलों के सामने इसका प्रदर्शन करने जा रहा है।

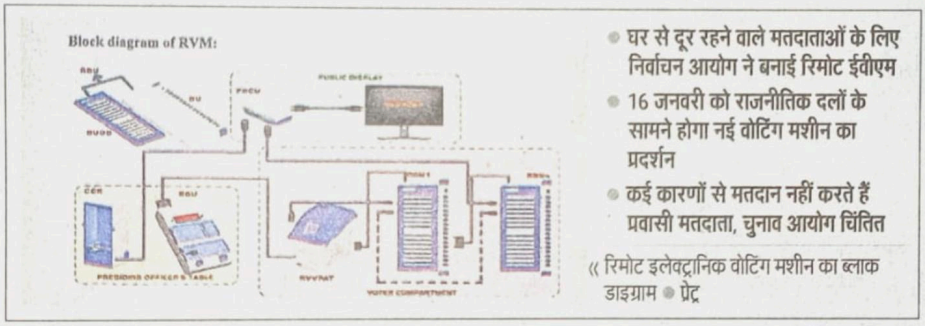

- घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने बनाई रिमोट ईवीएम
- 16 जनवरी को राजनीतिक दलों के सामने होगा नई वोटिंग मशीन का प्रदर्शन
- कई कारणों से मतदान नहीं करते हैं प्रवासी मतदाता, चुनाव आयोग चिंतित

« रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का ब्लाक डाइग्राम ● प्रेट्र

निर्वाचन आयोग इस बात से चिंतित है कि पिछले आम चुनाव में सिर्फ 67.4 प्रतिशत मतदान हुआ था। 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। माना जाता है कि किसी मतदाता द्वारा निवास के नए स्थान पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के अनेक कारण होते हैं। कई लोग जिस जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज है, उस जगह पर नहीं रहते हैं। देश के भीतर कितने लोग अपने निवास से दूर हैं, उसका कोई डाटाबेस भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी आंकड़े देखने से पता चलता है कि रोजगार, शादी और शिक्षा के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से दूर रहते हैं। इनमें ग्रामीण आबादी बड़े पैमाने पर घर से बाहर रहती है। आंतरिक प्रवास का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के भीतर होता है। इसे देखते हुए आयोग ने सभी स्तरों पर समाधान ढूंढने और उन्हें मतदान का अवसर देने के विकल्पों पर विचार-विमर्श किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल ने एम–3 ईवीएम माडल का संशोधित संस्करण बनाया है। रिमोट वोटिंग की सुविधा मिलने से प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गृह जिला जाने की जरूरत नहीं होगी।

राष्ट्रीय सहारा

घर बैठे कर पाएंगे मतदान !

निर्वाचन आयोग ने 'रिमोट वोटिंग मशीन' तैयार की, राजनीतिक दलों से मांगी राय

■ नई दिल्ली (भाषा)।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढाने के मकसद से बृहस्पतिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि उसने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए 'रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' (आरवीएम) का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है और इसके प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया गया है। आयोग की यह पहल अगर कामयाब रहती है तो प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह राज्य/नगर जाने की जरूरत नहीं होगी और वे जहां हैं, वहीं से मतदान कर सकेंगे।

आयोग के अधिकारियों ने दूरदराज के मतदान केंद्रों पर डाले गए मतों की गिनती और दूसरे राज्यों में निर्वाचन अधिकारी तक उन्हें भेजे जाने को एक 'तकनीकी चुनौती' करार दिया। उन्होंने हालांकि कहा कि मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित आरवीएम को 'मजबूत, त्रुटिरहित और दक्ष तंत्र'' के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। आयोग ने एक बयान में कहा कि विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया और शुरुआती मॉडल की सफलता के आधार पर निर्वाचन आयोग (ईसी) 'रिमोट वोटिंग' को लागू करने की प्रक्रिया को उचित रूप से आगे बढ़ाएगा।

■ आयोग ने मशीन के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को बुलाया

आयोग ने 'रिमोट वोटिंग' पर एक अवधारणा पत्र जारी किया है और इसे लागू करने में पेश होने वाली कानूनी, प्रशासनिक प्रक्रियात्मक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार मांगे हैं। बयान के अनुसार, इसके जरिए एक 'रिमोट' मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में 'रिमोट वोटिंग' की सुविधा दी जा सकेगी। इससे प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह राज्य/नगर जाने की जरूरत नहीं होगी और वे जहां हैं, वहीं से मतदान कर सकेंगे। इस मशीन को सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम ने विकसित किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 'मतदाताओं की भागीदारी बढाने के लिए रिमोट वोटिंग एक परिवर्तनकारी पहल साबित होगी।'

बयान में कहा गया कि सभी हितधारकों के लिए विश्वसनीय, सुगम और स्वीकार्य प्रौद्योगिकीय समाधान की तलाश करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयुक्त अनूप चन्द्र पाण्डे और अरुण गोयल के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में घरेलू प्रवासी मतदाताओं को 'रिमोट' मतदान केंद्रों अथवा गृह निर्वाचन क्षेत्र के लिए रोजगार एवं शिक्षा स्थल के मतदान केंद्रों से मतदान करने में सक्षम करने के वास्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे एम3 ईवीएम मॉडल के संशोधित संस्करण का इस्तेमाल करने का विकल्प ढूंढा है। इस तरह प्रवासी मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वापस अपने गृह नगर जाने की जरूरत नहीं होगी।

निर्वाचन आयोग ने कहा, ' कई बार प्रवासी विभिन्न कारणों से अपने कार्यस्थल के आसपास खुद का पंजीकरण नहीं करा पाते, जैसे बार-बार मकान बदलने के कारण पता बदलना, जिस क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहे रहे होते हैं वहां के मुद्दों से सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव महसूस न होना, गृह नगर में मतदाता सूची से अपना नाम न हटवाने की इच्छा आदि।' निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने मान्यताप्राप्त सभी आठ राष्ट्रीय दलों और 57 राज्य स्तर की पार्टियों को शुरुआती मॉडल दिखाने के लिए 16 जनवरी को बुलाया है। इस मौके पर आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। आयोग ने अपेक्षित विधिवत परिवर्तनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो तो और घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान की पद्धति/आरवीएम/प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न मामलों पर मान्यता प्राप्त सभी दलों से अपने विचार लिखित में 31 जनवरी तक भेजने का आग्रह किया है।

आयोग की योजना शानदार पहल

नई दिल्ली (भाषा)। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए 'रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' के संदर्भ में राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का फैसला एक शानदार पहल है। अभी यह पायलट परियोजना के रूप में शुरू होगी तथा इससे व्यवस्था के सामने जो परेशानियां आती हैं उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। कुरैशी ने कहा, मेरा मानना है कि यह शानदार पहल है।

चुनाव प्रणाली में विश्वास कम होगा

नई दिल्ली (भाषा)। कांग्रेस ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए 'रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' के शुरुआती मॉडल को लेकर दावा किया कि इस पहल से चुनाव प्रणाली में विश्वास कमतर होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आयोग को सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रणाली में पूरी पारदर्शिता के साथ विश्वास बहाल हो।

REDMI 10 PRIME
REDMI 10 PRIME

दैनिक जागरण

प्रवासी उत्तराखंडी आरवीएम से गांव में कर सकेंगे मतदान

देहरादून : केंद्रीय निर्वाचन आयोग की पहल प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) का उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष महत्व हो सकता है। यह सुविधा शुरू होने पर प्रवासी उत्तराखंडी देश-प्रदेश के किसी भी कोने से अपने गांव में मतदान कर सकेंगे। इससे उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ाव का अहसास होगा । उत्तराखंड के लाखों लोग रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा समेत अन्य कारणों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं। कई मर्तबा छुट्टी न मिलने अथवा अन्य कारणों से वे अपने गृह क्षेत्र में होने वाले चुनावों में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। रिमोट वोटिंग होने पर वे अपने गृह क्षेत्र के लिए मतदान करने के साथ ही वहां के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकेंगे। (राब्यू)

Times of India

EC proposes remote voting for inter-state migrants

To Show RVM, Remote EVM, To Parties On Jan 16

BhartiJain@timesgroup.com

New Delhi: In a major step towards making elections more inclusive, the EC on Thursday proposed introduction of 'remote voting' facility for domestic migrants, using a multi-constituency EVM that will retain all security features of the EVMs currently in use.

Domestic migrants currently face disenfranchisement due to their inability to travel back to the polling stations where they are registered as voters — as required by the existing laws and rules — or account of factors like work, educational pursuits and marriage.

"Remote voting is a fundamental reboot for an inclusive and participative democracy," CEC Rajiv Kumar told **TOI** and added that the EC remains focused on addressing factors that kept around 30 crore electors from voting in the 2019 Lok Sabha polls. "These include urban apathy, youth apathy and migration-based disenfranchisement," he said.

The 'remote voting' facility — on which a concept paper was circulated to all recognised national and state parties on Thursday — will be unveiled with the new EVM prototype that can poll and record votes of electors registered in multiple constituencies, at a polling station away from the assembly or parliamentary constituency for which the election is being held.

▶Continued on P 6

Representational photo

Domestic migrants currently face disenfranchisement due to their inability to travel back to polling stations where they are registered as voters

CEC's trek to distant booth gave him idea

It was during a trek, undertaken by CEC Rajiv Kumar in June this year to one of the country's remotest polling stations in Dumak village in Chamoli in Uttarakhand, that prompted him to seriously work on the option of introducing 'remote voting' for migrant voters. P 6

'It'll add to suspicions about voting integrity'

Expressing its reservations about the remote voting system, Congress said that trust in EVMs has eroded sharply because of the poll watchdog's alleged susceptibility to government pressures, and the new system will only compound the suspicions of people about integrity of voting. P 6

Times of India

CEC's trek to U'khand polling booth behind remote voting plan

Bharti.Jain@timesgroup.com

New Delhi: It was during a trek, undertaken by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar in June this year to one of the country's remotest polling stations in Dumak village in Chamoli in Uttarakhand, that prompted him to seriously work on the option of introducing 'remote voting' for migrant voters.

In his interactions with the locals during the 18-km arduous trek to Chamoli and Kalgoth villages, he learnt that while almost all the electors present in these two remote villages turned up to vote at the polling station, around 20-25% of their registered voters were unable to exercise their franchise as they had moved out on account of their jobs or educational pursuits. Kumar was apprised that these sections felt that they had somehow lost their say as a local stakeholder as the candidates and even the MLA would not account for them while taking decisions regarding development and other initiatives in the constituency. "Remote voting, if introduced, will allow such migrant voters to regain their representative character and make them important stakeholders in matters relating to the constituency, where their native home and families are located," said a senior EC functionary.

Acknowledging the 'lost votes' on account of migration of voters from their registered polling station area to other places for purposes like employment and education, the Election Commission had put out a statement soon after the CEC's visit to Dumak that "the time has come to explore the possibility of remote voting", starting possibly with a pilot project. It said all issues regarding migrant voting would be examined by an internal committee and wider consultations held with all the stakeholders, including political parties. EC had earlier taken up a research project on remote voting, in consultation with IIT-Madras and eminent technological experts from other institutions. The panel is said to have favoured allowing voters to vote at designated polling stations away from where they are registered, "using a two-way electronic voting system in a controlled environment with white-listed IP devices on dedicated internet lines, enabled with biometric devices and a web camera".

REDMI 10 PRIME

Hindustan Times

ECI calls all-party meet to display remote voting

Deeksha Bhardwaj

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Election Commission of India (ECI) has developed a prototype to enable remote voting for migrant workers and students and called an all-party meeting on January 16 to demonstrate the technology designed to address low voter turnout and to seek feedback.

In a statement on Thursday, the ECI said it has explored the option of using a modified version of the time-tested model of M3 Electronic Voting Machines (EVMs) to enable voting at polling stations outside the home constituencies of migrants. "The migrant voter would thus need not travel back to his/her home district to exercise his/her franchise of voting," it said.

Chief election commissioner Rajiv Kumar said the idea was to address the main causes for low voter turnout — urban, youth apathy, and the inability of migrants to vote. "The commission has begun programmes to address urban and youth apathy...this [the new technology is for] domestic migrants."

→P4

Hindustan Times

ECI calls all-party meet to demonstrate remote voting

Deeksha Bhardwaj

letters@hindustantimes.com

Volunteers carrying electronic voting machine (EVMs) for polling station of municipal elections, at Phulwarisharif in Patna on December 17. SANTOSH KUMAR/HT PHOTO

NEW DELHI: The Election Commission of India (ECI) has developed a prototype to enable remote voting for migrant workers and students and called an all-party meeting on January 16 to demonstrate the technology designed to address low voter turnout and to seek feedback.

In a statement on Thursday, the ECI said it has explored the option of using a modified version of the time-tested model of M3 Electronic Voting Machines (EVMs) to enable voting at polling stations outside the home constituencies of migrants.

"The migrant voter would thus need not travel back to his/her home district to exercise his/her franchise of voting," it said.

The ECI has invited representatives of eight recognised national and 57 state political parties for the demonstration.

"The initiative, if implemented, can lead to a social transformation for the migrants and connect with their roots as many times they are reluctant to get themselves enrolled at their place of work for various reasons such as frequently changing residences, not enough social and emotional connect with the issues of an area of migration, unwillingness to get their name deleted in the electoral roll of their home/native constituencies as they have permanent residence/property," the statement said.

Chief election commissioner Rajiv Kumar said the idea was to address the main causes for low voter turnout — urban, youth apathy, and the inability of migrants to vote.

"The commission has begun programmes to address urban and youth apathy...this [the new technology is for] domestic migrants."

The ECI said it was ready to pilot multi-constituency remote voting for domestic migrants from their places of residence.

"This modified form of EVM can handle up to 72 multiple constituencies from a single remote polling booth," the statement said.

The ECI has asked political parties to submit views by January 31 on issues related to changes required in legislation and administrative procedures for remote voting.

"Based on the feedback received from various stakeholders and demonstration of the prototype, the Commission will appropriately carry forward the process of implementing [the] remote voting method."

In 2020, the ECI set up a four-member panel of experts from the Indian Institutes of Technology and the National Informatics Centre to assess the technology to enable remote voting.

The panel presented a concept plan for the dependence on technology in the conduct of elections.

Nearly 10 million migrant workers employed in unorganized sector are registered with the government's e-SHRAM portal. Currently, postal ballots are meant only for voters such as army personnel.

To address voting apathy in urban areas, the poll panel decided to undertake focused awareness activities.

The commission noted with concern the abysmally low voter turnout in some urban areas despite the fact that polling stations are setup within 2km for any voter.

"The need to address voting apathy in urban areas was felt," its statement said.

REDMI 10 PRIME

Garhwal post

EC launches initiative on remote voting for migrant population, will benefit U'khand hills

By ARUN PRATAP SINGH

DEHRADUN, 29 Dec: In what could be especially significant for a large number of Uttarakhandis living outside the state, the Election Commission of India has developed a prototype Remote Electronic Voting Machine (RVM) which can provide remote voting facility from their home town to citizens settled elsewhere in the country. This machine will enable overseas voters to vote for their home/native constituency from anywhere.

Please see page ... 3

the pioneer

Now cast your vote from thousands of miles away

PNS ■ NEW DELHI

The day is not far when migrant voters may not be required to travel to their home States to cast their vote during elections.

The Election Commission (EC) has developed a prototype of the Remote Electronic Voting Machine (EVM) for domestic migrant voters and has invited political parties for a demonstration on January 16.

The remote EVM can handle multiple constituencies from a single remote polling booth. According to the EC, the multi-constituency remote EVM can handle up to 72 constituencies from a single remote polling booth.

The EC has invited representatives of eight recognised national and 57 State political parties for the demonstration and sought their written submissions by January 31 on various related issues, including changes required in legislation, changes in administrative procedures and voting method or RVM technology, if any other, for the domestic migrants.

"Based on the feedback received from various stakeholders and demonstration of the prototype, the Commission will appropriately carry forward the process of implementing the remote voting method," it said

According to officials, the idea was to implement voter portability as a pilot project in the upcoming Assembly elections in nine States in 2023. This means that if the pilot is successful then in the 2024 general elections voter portability can be fully implemented.

The EC concept note said that the migrant voter need not travel back to his/her home State/ district/ constituency to exercise his/her franchise of voting. According to EC, a remote voter has to pre-register for a remote voting facility by applying online/offline within a pre-notified time

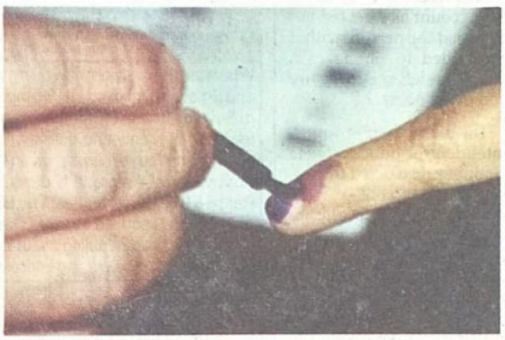

before elections with his home constituency returning officer. Voter details will be verified at the home constituency and the voter's request for remote voting will be approved after successful verification by marking him/her as remote voter to participate as remote voter in a remote location (a location other than the voter's home constituency). Special multi-constituency remote voting polling stations will be set up in the places of their current residence.

Terming counting of votes cast at remote booths and their transmission to the returning officer in other States as a "technological challenge", EC officials said RVMs will be developed as "a robust, fail proof and efficient standalone system" based on existing electronic voting machines and will not be connected to internet.

Cong flays remote voting, asks EC to first restore trust in electoral system

PNS ■ NEW DELHI

The Congress on Thursday opposed the Election Commission's proposal for a remote voting system and asked it to first work to restore trust in the electoral system.

"Trust in the electoral system is paramount for democracy to function. The German Federal Constitutional Court struck down EVMs in Germany in 2009 because the opacity of the machine cannot give a voter the confidence that his or her vote is being correctly recorded. In spite of their widespread use, EVMs have aroused much controversy in India. Unfortunately, fears of their misuse have not been systematically addressed.

"Voters and parties must have confidence in the electoral system. However, this trust has been repeatedly violated in recent years on account of pressures being put on the Election Commission of India by the Modi Government," Congress chief spokesman Jairam Ramesh said in a statement.

While criticising the new proposal, the Congress raised questions marks over the role of elections watchdog in scheduling the Gujarat poll.

Garhwal post

EC launches initiative on remote voting...

Contd from page ... 1

The Commission has invited all the recognised 8 National and 57 State parties on 16 January, 2023, to demonstrate the working of the Multi-Constituency Prototype Remote EVMs (RVMs). Members of the Technical Expert Committee of the Commission will also be present on this occasion. The Commission has also requested the recognised political parties to submit written representations by 31 January, 2023, on various related matters including required legal changes, changes in administrative procedures and voting method/RVM/technology for domestic overseas voters, if any.

Meanwhile, reacting to the move by the Election Commission, Congress spokesman Jairam Ramesh today opposed the move and expressed serious reservations in this respect.

It may be recalled that this idea had struck the Election Commission of India when Chief Election Commissioner Rajeev Kumar was touring a remote polling station in Dumak village of district Chamoli in Uttarakhand. The villagers had made Kumar aware of the fact that most villagers from the area live outside the state and are unable to exercise their franchise. In response to the villagers' concern, Kumar had [illegible] facility to enable migrant voters to exercise their franchise from their present place of posting or residence. Kumar had visited Uttarakhand and some of its remote areas soon after taking over as Chief Election Commissioner.

Based on the feedback received from various stakeholders and the performance of the prototype, the Commission will take forward the process of implementing the remote voting system in a suitable manner.

This move, if implemented, may have special significance in the context of Uttarakhand. Lakhs of people here live in different parts of the country for reasons of employment, business, education, etc. With remote voting, they will be able to vote for their home area and participate in the development process there.

Social Activist from Dehradun, Anoop Nautiyal has also welcomed the initiative by the Election Commission. Speaking to Garhwal Post, he termed it a major electoral reform that had far reaching consequences. He also described the move as a potential game changer for states like Uttarakhand that had low voter turnout in hill areas due to migration.

A comprehensive discussion on remote voting has been started by the Election Commission of India. Legal, statutory, administrative and technological initiatives are needed to implement such empowerment. The Commission headed by Kumar along with Election Commissioners Anoop Chandra Pandey and Arun Goyal had sought inclusive solutions to enable the electoral participation of migrants at all socio-economic levels and alternate methods of voting such as two-way direct transit postal ballots, proxy voting, special early polling station. All the options like early voting, one-way or two-way electronic transmission of postal ballots (ETPBS), internet based voting system, etc., were discussed in detail.

With the objective of finding a reliable, accessible and acceptable technological solution for all stakeholders, the Commission headed by Chief Election Commissioner Shri Rajeev Kumar along with Election Commissioner Shri Anoop Chandra Pandey Commission and Election Commissioner Shri Arun Goyal has launched Remote Voting for Domestic Overseas Voters. To enable polling from the centres, an option has been explored to use a modified version of the time-tested M-3 EVM model. In this way, the migrant voters need not travel back to the home district to exercise their franchise.

REDMI 10 PRIME

शाह टाइम्स

शहर व राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट

चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों से ली जाएगी राय

नई दिल्ली, वार्ता

चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम (आरवीएम) तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम की मदद से अब घर से दूर, किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा-लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा।

यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस आरवीएम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा। आरवीएम का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोग, प्रवासी मजदूर कर सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे घर बैठे वोट डाल सकेंगे। उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना होगा। इसका मतलब घर से मतदान करना नहीं है। अनुमान के मुताबिक, देश में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। इसका सेंट्रलाज्ड डेटा मौजूद नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा युवाओं और शहरी वोटर्स की वोट न डालने के रवैये पर रिसर्च की गई। वोटिंग में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आरवीएम क्रांतिकारी बदलाव होगा। आईआईटी मद्रास की मदद से बनाई गई मल्टी कान्स्टीटुएंसी रिमोट ईवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे गए हैं। एक बयान के अनुसार पोल पैनल ने रिमोट वोटिंग पर सिर्फ कान्सेप्ट नोट जारी किया है। आयोग ने कहा कि 2019 के आम चुनाव में वोटर टर्नआउट 67.4 फीसदी था। 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। चिंता की बात यही है। आयोग ने कहा कि वोटर नई जगह जाने पर कई वजहों के चलते वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता और वोटिंग नहीं कर पाता। घरेलू प्रवासियों का वोटिंग करने में असमर्थ होना चिंताजनक था। इसलिए आरवीएम का प्लान बनाया गया। आयोग ने 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है। वह इस आरवीएम सिस्टम को राजनीतिक दलों को दिखाएगा। इसके बाद उनसे सुझाव मांगेगा। इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगा। 2023 में जैम्मू-कश्मीर के अलावा देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे। जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान शामिल हैं। आरवीएम सिस्टम का लागू होने डेमो, राजनीतिक दलों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोगों की राय पर निर्भर करता है।

- सुविधा का लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना होगा
- 45 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में कर रहे मजदूरी